मकाथाना

25/5/18 वकुलाप उप०। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने बताया कि वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। एवं मूगला के नारायणी व पताशी दो पुत्रीया थी जिनको उनके हिस्से का एवं उनके हिस्से की भूमियो का विधिवत रूप से नामान्तकरण भरा गया है। एवं स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा घोषणा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही है। उक्त तीनो अलग-अलग जमाबंदीयो के सम्बंध मे एक ही वाद प्रस्तुत किया है। तथा उक्त जमाबंदियो के खातेदार समान नही है कानूनन एक से अधिक जोत के विभाजन के एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते की पक्षकार वे ही हो। वादीगण का वाद प्रावधानो के विपरीत पेश होने के कारण खारीज फरमाया जावे। दौराने बहस नजीर sec 53 पेश की।

वकील अप्रार्थी/वादीगण ने बताया कि वाद वादीगण सही तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। एवं मूगला की पुत्रीया फौत हो चुकी है तथा उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। घोषणा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है। तीनो जमाबंदियो के खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है। तीनो जमाबंदियो मे अपना हिस्सा चाहा गया है। अत: प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

वकुलाए उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि वादीगण द्वारा घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व तकासमा का वाद पेश किया गया है। राजस्व ग्राम लाखा की नागड़ के भूमि खाता सं 53, 52, व 54 मे अंकित भूमि के बाबत वाद प्रस्तुत किया है। यह सही है कि कानूनन एक से अधिक खातो का विभाजन कराने हेतु एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु पक्षकार वे ही होने चाहिए। अगर एक से अधिक खातो का विभाजन करना है एवं पक्षकार समान नही है तो एक वाद के जरिये सहायता प्राप्त नही की जा सकती। उसके लिए अलग-अलग वाद दायर करने पड़ेगे। इस प्रकरण मे पक्षकार समान नही होने के कारण समस्त खातो का विभाजन एक साथ किया जाना उचित नही है। इसलिए वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर हर्फ-ब-हर्फ चस्पा होती है। इसलिए न्यायहित में नये वाद पेश करने की अनुमति के साथ यह विचाराधीन वाद खारीज किया जाना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रावधानो के विपरीत होने के कारण दावा वादीगण खारीज किया जाता है तथा न्यायहित मे वकील वादीगण को हिदायत दी जाती है कि नया वाद एक माह की अवधि मे प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना